दिए जाने वाले कमीशन को बढ़ाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली में हाल ही में 1-4-1993 से लेवी चीनी का वितरण करने के लिए मार्जिन में संशोधन कर दिया गया है और यह मार्जिन 2.60 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है लेकिन इसमें ढुलाई प्रभार शामिल नहीं है । इससे पूर्व यह मार्जिन ढुलाई प्रभारों सहित पहली जनवरी, 1987 से 4.80 रुपये प्रति क्विंटल था ।

खाद्यान्नों पर राजसहायता में वृद्धि

@1595. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राजसहायता की राशि में भारी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 में राजसहायता की राशि में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने इस राशि में वृद्धि होने के कारणों का भी पता लगाया है;

(घ) क्या वित्तीय वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 में खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था, अधिक पूंजी निवेश पर ब्याज, खाद्यान्न खरीद व्यवस्था पर किया जाने वाला व्यय, वर्षभर में विभिन्न कारणों से नष्ट होने वाले खाद्यान्न की मात्रा से अधिक हानि और खाद्यान्न लाने ले जाने सम्बन्धी व्यय अधिक हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इन वर्षों में अलग-अलग उपरोक्त मदों में व्यय की गई राशि का आकलन क्या है; और

(च) खुले बाजार में गेहूं बेचने से होने वाले लाभ की अनुमानित राशि क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1993-94 में खाद्यान्नों के लिए राजसहायता की राशि अतीत के वर्षों की तुलना में काफी अधिक है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1992-93 में 2785 करोड़ रुपये की खाद्य राजसहायता मुहैया की गई थी । वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसका 5200 करोड़ रुपये होने का अन्दाजा है ।

(ग) खाद्य राजसहायता में मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से वृद्धि हुई है :—

(1) खाद्यान्नों के वसूली मूल्यों में वृद्धि होना;

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों में विलम्ब से वृद्धि करना और इस वृद्धि को आंशिक रूप से उपभोक्ताओं पर डाल देना;

(3) ब्याज प्रभारों में वृद्धि हो जाना;

(4) भाड़े की लागत में वृद्धि होना;

(5) पिछले वर्षों के लिए राजसहायता की बकाया राशि होना।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1992-93 और 1993-94 के दौरान विभिन्न

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 650,28 फरवरी, 1994 से स्थानान्तरित

मदों पर किए गए खर्च की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है :—

(करोड़ रूपयों में)

	1992-93	1993-94 अनुमानित
भाड़ा	578.65	850
बोरियों को हैंडल करने के प्रभार	237.47	254
भण्डारण प्रभार	399.45	310
ब्याज प्रभार	876.71	1200
मार्गस्थ हानियां	142.39	132
भण्डारण हानियां	73.11	68
प्रशासनिक प्रभार	297.32	260

(च) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करने से कोई लाभ कमाने की संभावना नहीं है क्योंकि खुले बाजार में गेहूं की बिक्री के दाम भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की इक्नामिक लागत से कम होते हैं ।

Price Rise of Items Under Public Distribution System

\$1596. SHRI G. G. SWELL :
DR. NARREDDY THULASI REDDY :
SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR :
SHRI JAGIR SINGH DARD :
SHRI N. E. BALARAM :

Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether the price of wheat and rice has been jacked by 21 to 23 per cent;

(b) whether this has come in the wake of steep increase in the prices of sugar;

(c) if so, the reasons for the increases;

(d) the details of the burden on the poor sections who draw their necessities from the public distribution system;

(e) whether it is a fact that prices of sugar, rice and wheat have also increased in the open market; and

(f) whether Government made any assessment of the rise in the prices of foodgrains in the open market; and

(g) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALPNATH RAI) : (a) The percentage increase in central issue prices of wheat and rice for Public Distribution System effective from 1-2-1994 is as under : —

Commodity	Percentage of increase over the previous Central issue prices
Wheat	21.8%
Rice ;	
Common	22.8%
Fine	24.1%
Superfine	25.0%

\$Previously unstarred Question 656, Transferred from 28th February, 1994.